प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1168 सन 2021

अनवान :–

1. कुलवन्तसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. गुरदीपसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. पठानाराम पुत्र झण्डाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. जोगेन्द्रसिह पुत्र पठानाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिह पुत्र पठानाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. दर्शनसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. बलवीरसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. दलवीरसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. चरणसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 42/40 की कुल 4.3010हैक , रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 54/52 की कुल 1.5670हैक एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर ए के खाता संख्या 39/38 की कुल 2.0240हैक एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर ए के खाता संख्या 55/56 की कुल 3.0360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा झण्डाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूगियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता झण्डाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का पिता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये इकबाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

Scanned with CamScanner

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 , न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है। अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 2/2 की कुल 2.5300हैक्ट व रोही मौजा चक 18 एनटीआर बी के खाता संख्या 3/2 की कुल 4.5920 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा झण्डाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह सावित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा। जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 42/40 की कुल 4.3010हैक्ट में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1.771हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 2.5300हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 54/52 की कुल 1.5670हैक्ट में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा, एव रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 39/38 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा के एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 55/56 की कुल 3.0360हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त खातों से कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... परलीका

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान:–

1. कुलवन्तसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. गुरदीपसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. पठानाराम पुत्र झण्डाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. जोगेन्द्रसिह पुत्र पठानाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिह पुत्र पठानाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. दर्शनसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. बलवीरसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. दलवीरसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. चरणसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1168 सन 2021 निर्णय दिनांक– 07.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 42/40 की कुल 4.3010हैक में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1.771हैक एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 2.5300हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 54/52 की कुल 1.5670हैक में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा, एव रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 39/38 की कुल 2.0240हैक भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा के एवं रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 55/56 की कुल 3.0360हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त खातों से कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....परलीका

Scanned with CamScanner